

मालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

30/2022

तारीखरजु:- 5/12/2022

उनवान:- रतनलाल बनाम किरोडी

जौल

इजराय डिकी पालना


क्र

12/22

फर्द अहकाम

डिकीदार की और से श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट ने मु0न0 31/2021 मे पारित निर्णय दिनांक 29.03.2022 से ग्राम जौल की आराजी ख0न0 347/1/0.01 का नया नम्बर 1134/347/0.01, 783/1/0.01 का नया नम्बर 1135/783/0.01, 348/0.10, डिकी दार के दूक मे दर्ज की गई व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया कि प्रतिवादी न0 8 व 9 के कब्जे कश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करने हेतु पाबन्द किये जाने के उपरान्त भी बाधा पैदा की जा रही है।

डिकीदार द्वारा प्रस्तुत इजराय का अवलोकन किया गया। जिसमे डिकीदार व मदयून की अलग-अलग खातेदारी दर्ज रिकार्ड हो चुकी है। इसलिये प्रस्तुत इजराय दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादी न0 8 व 9 को जरिये नोटिस तलब किया जावे तथा तहसीलदार टोडाभीम को डिकी की प्रति तहरीर के साथ वास्ते पालना भिजदाई जावे। पत्रावली वास्ते तलबी व पालना रिपोर्ट दिनांक:-16.01.2023 को पेश हो।



(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

16L/23

पत्रावली पेश हुई। वकील डिकीदार उपस्थित। प्रतिवादी न0 8 ने उपस्थित होकर आडेरीज पर इस्ताअर दिये। एवं प्रतिवादी न0 9 के नोटिस तलबी होकर प्राप्त नही हुए हैं। वास्ते इन्व्वाट तलबी एवं जबाब पेश करने दिनांक 9.2.23 को पेश हो।

राम प्रसाद

9.2.23

पत्रावली पेश हुई। डिकीदार वकील उपस्थित, डिकीदार वकील ने प्रतिवादी न0 9 के तलबी नोटिस पेश किया। P.O. साहब राजकार्य से नार्दीली पछरे छ। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 18.2.23 27.2.23 को पेश हो।



693
9.2.23

लय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

वकील ट्रिक्कीडार ने अवलोकन किया। बाद अवलोकन तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत पालना रिपोर्ट को सही होना स्वीकार किया।

अतः तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत पालना रिपोर्ट सही ठीके जाने से पत्रावली ड्रॉप की जाती है।

पत्रावली पेंसल गुंजार होकर नम्बर सेकम होकर दाखिल दफ्तर हो

